न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः- श्रीमति निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 4/2011

1. आशीष चौधरी पुत्र श्री कन्हैयालाल उम्र 21 वर्ष जाति जाट निवासी ओसवाली मौहल्ला, देवडूंगरी रोड, मदनगंज किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०)
2. भारती चौधरी पुत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी जाति जाट उम्र 19 वर्ष निवासी ओसवाली मौहल्ला, देवडूंगरी रोड़, मदनगंज किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०)
3. श्रीमती इन्दू देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल चौधरी उम्र 38 वर्ष, निवासी जाति जाट निवासी ओसवाली मौहल्ला, देवडूंगरी रोड, मदनगंज किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री सुरजकरण चौधरी जाति जाट उम्र 48 वर्ष, निवासी ओसवाली मौहल्ला, देवडूंगरी, मदनगंज किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज०)
2. श्रीमान् उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय, किशनगढ़
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब, किशनगढ

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थीः– श्री परमानन्द शर्मा

दिनांक 06/5/25

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री परमानन्द शर्मा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है परन्तु वाद के निस्तारण में समय लगना स्वभाविक है इसलिए वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 का अप्रार्थी संख्या 1 पिता है एवं प्रार्थीया संख्या 3 का अप्रार्थी संख्या 1 पति है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 के दादा एवं प्रार्थीया संख्या 3 के श्वसुर स्व० श्री सुरजकरण पुत्र श्री हरकरण की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम मदनगंज पटवार हल्का मदनगंज तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित हैं जिसके खाता संख्या नया 553 पुराना 617 खसरा संख्या 52 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा संख्या 83 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 का कुल रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा है। सुरजकरण पुत्र श्री हरकरण की मृत्यु वर्ष, 1992 में हो चुकी है। स्व० श्री सुजरकरण की मृत्यु के बाद वाद के पेरा संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। जिसके तहत प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त कृषि भूमि में संयुक्त 1/4 हिस्सा निहित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 सहित प्रार्थीगण को पैतृक अधिकारों के तहत हक हिस्सा अधिकार प्राप्त है। स्व० श्री सुरजकरण की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि पर विरासत में प्राप्त हिस्से के तहत काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं उक्त भूमि की आय से परिवार का पालन पोषण हो रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि होने के कारण तथा उक्त भूमि विरासत में प्राप्त होने के कारण प्रार्थीगण का पैतृक अधिकारों के तहत उक्त कृषि भूमि में हक हिस्सा अधिकार निहित है। उक्त हक हिस्सा के तहत स्व० श्री सुरजकरण की मृत्यु के बाद से प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक भूमि होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि पर बाबत किसी तरह का कोई संव्यवहार करने का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

संख्या 1 को काफी समय से बूरी लत लगी हुई है तथा बुरी संगत में बैठता है एवं आये दिन शराब का नशा कर घर पर आता है। काफी समझाने के बावजूद भी शराब पीना बन्द नहीं करता है। तथा बूरी संगत को नहीं छोड़ता है। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को शराब पीने के लिये मना किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के साथ मारपीट कर प्रार्थीगण को परेशान करता रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 की शराब की लत के कारण तथा अप्रार्थी संख्या 1 की बूरी संगत के कारण, अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा घर को नरक बना रखा है। जिसके कारण प्रार्थीगण का जीवन दुर्भर हो रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 बूरी संगत में बैठने के कारण भू–माफिया अप्रार्थी संख्या 1 को शराब इत्यादि पिलाते रहते है जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 1 रोजाना शराब पीकर घर आता है एवं घर में गाली गलोच कर मारपीट करता रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त शराब की लत का अन्य व्यक्ति फायदा उठाकर प्रार्थीगण के खिलाफ अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने हेतु भड़काते हुए उकसाते रहते है। जिसके तहत अप्रार्थी संख्या 1 आये दिन प्रार्थीगण को धमकी देता रहता है कि शराब नहीं छोड़ूंगा तथा यदि मुझे शराब के पैसे नहीं मिले तो मैं उक्त कृषि भूमि को विक्रय कर खुर्द बुर्द कर दूंगा एवं उक्त से शराब पीता रहूंगा। तथा अन्य व्यक्ति के नाम उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवा कर तुम्हारे से जबरन कब्जा दिलवा दूंगा एवं तुम्हारे को उक्त कृषि भूमि से जबरन बेदखल करवा कर उक्त पैतृक भूमि से तुम्हारे को वंचित कर दूंगा। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को कई मर्तबा समझाया गया कि आप शराब पीना व बूरी संगत में बैठना छोड़ो। परन्तु प्रार्थीगण की उक्त बात को नहीं मानकर प्रार्थीगण के द्वारा शराब छोड़ने व बूरी संगत में बैठना छोड़ने की बात कहने पर अप्रार्थी संख्या 1 नाराज हो जाता है तथा मारपीट शुरू कर देता है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा गलत संगत के कारण एवं भू–माफिया के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण के खिलाफ भड़का कर अप्रार्थी संख्या 1 से उक्त कृषि भूमि के बाबत किसी भी तरह का संव्यवहार कर प्रार्थीगण को उक्त पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि से वंचित कर सकता है। जबकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होने के कारण प्रार्थीगण की बिना किसी सहमति के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के बाबत किसी भी तरह का कोई संव्यवहार करने का अप्रार्थी संख्या 1 को अधिकार नहीं है। न ही अन्य किसी भी व्यक्ति को बिना प्रार्थीगण की सहमति के अप्रार्थी संख्या 1 से उक्त कृषि भूमि के बाबत संव्यवहार करने का अधिकार है। उक्त के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 शराब की लत के कारण एवं बूरी संगत के कारण उक्त कृषि भूमि बाबत संव्यवहार करने को आमादा है एवं अन्य भू–माफिया भी अप्रार्थी संख्या 1 की शराब की लत का गलत फायदा उठाकर उक्त भूमि के बाबत अप्रार्थी संख्या 1 से संव्यवहार करने को आमादा है। प्रार्थीगण के परिवार हेतु प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को विक्रय करने की किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 शराब की लत व गलत संगत के कारण अन्य व्यक्ति के बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि बाबत संव्यवहार करने हेतु आमादा है एवं भू–माफिया उक्त कृषि भूमि को लेने पर उतारू होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थीगण को दिनांक 01.01.2011 को धमकी दी गई है कि तुम्हारे द्वारा यदि मुझे शराब पीने से मना किया तो उक्त कृषि भूमि का विक्रय पत्र अन्य व्यक्तियों के नाम निष्पादित करवा कर उक्त कृषि भूमि से तुम्हारे को वंचित करके तुम्हारे से जबरन कब्जा दिलवा दूंगा एवं तुम्हारे को काश्त नहीं करने दूंगा। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को काफी समझाया कि परिवार में उक्त कृषि भूमि को विक्रय करने की किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीया संख्या 3 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को यह भी कहा कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के भविष्य हेतु आजीविका हेतु एवं पालन पोषण हेतु एवं भविष्य में उनके विकास हेतु उक्त कृषि भूमि आवश्यक है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 गलत संगत के कारण एवं गलत शौक के कारण बहकावे में आकर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने व विक्रय करने पर उतारू है। तथा उक्त के बाबत दस्तावेज निष्पादित करने हेतु तत्पर एवं तैयार है तथा अन्य व्यक्ति भी प्रार्थीगण की बिना सहमति के अप्रार्थी संख्या 1 की गलत लत का गलत फायदा उठा कर उक्त कृषि भूमि बाबत अप्रार्थी संख्या 1 से संव्यवहार करने हेतु उतारू है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि में हक हिस्सा अधिकार निहित होकर कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होने के कारण एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि विरासत से प्राप्त होने के कारण प्रार्थीगण का पैतृक अधिकारों के तहत हित निहित होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि के बाबत दस्तावेज निष्पादित कर प्रार्थीगण को पेतृक कृषि भूमि से वंचित करने का किसी तरह का कोई विधिक

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

अधिकार नहीं है। न ही अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त कृषि भूमि स्वअर्जित आय से क्रय शुदा भूमि है। न ही प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को विक्रय करने की परिवार में किसी तरह की कोई आवश्यकता परिवार के हित में है। उक्त के बावजूद भी प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 दस्तावेज निष्पादित कर उक्त कृषि भूमि को विक्रय कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द नही करे, बैचान, रहन, नहीं करे एवं उक्त कृषि भूमि के बाबत किसी तरह का कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं करे एवं न ही प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि से बेदखल करवाये व न ही करे। तथा न ही किसी भी तरह का कोई दस्तावेज निष्पादित कर राजस्व रिकार्ड में किसी तरह का कोई परिवर्तन, परिवर्धन करे अथवा करवाये। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होने के कारण तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि विरासत में व सेवा चाकरी करने के कारण प्राप्त होने के कारण तथा प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि पर पैतृक अधिकारों के तहत विरासत में कब्जा प्राप्त होने के कारण एवं स्व० श्री सुरजकरण की मृत्यु के बाद से उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त होकर काबिज होने के कारण प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के साथ राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त करवा कर राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम दर्ज करवा कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है इस हेतु खातेदारी अधिकारों की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के क्षेत्राधिकार में उक्त कृषि भूमि होने के कारण तथा अप्रार्थी संख्या 3 भू-धारी होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 को पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि उक्त कृषि भूमि के किसी भी तरह का कोई संव्यवहार बाबत दस्तावेज पेश होने पर उसका पंजीयन नही करे। तथा अप्रार्थी संख्या 3 को पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के बाबत राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन नहीं करें एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 को विरासत से प्राप्त हुई है। उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि में हक अधिकार व हिस्सा प्राप्त है एवं उक्त पैतृक अधिकारों के तहत प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त पैतृक विरासत से प्राप्त कृषि भूमि के बाबत् बिना प्रार्थीगण की सहमति के किसी भी तरह का कोई संव्यवहार करने का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं हैं न ही पैतृक सम्पत्ति से वंचित करने का किसी तरह का कोई अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त है। नही परिवार हेतु उक्त कृषि भूमि को विक्रय करने की किसी तरह की कोई आवश्यकता है। सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है। क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होने के कारण तथा विरासत में उक्त कृषि भूमि प्राप्त होने के कारण उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी संख्या 1 व 2 का जन्म से ही हक अधिकार प्राप्त हो गये है तथा प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि पर पैतृक अधिकारों के तहत प्रार्थीगण को कब्जा प्राप्त हुआ है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अवैध रूप से उक्त कृषि भूमि के बाबत किसी तरह का कोई दस्तावेज निष्पादित करके प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि से बेदखल करवा देता है तो प्रार्थीगण को पेतृक कृषि भूमि से वंचित होना पड़ेगा। जिससे प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं होगी एवं असुविधा होगी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 01.01.2011 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा गलत शोक व गलत संगत में पड़कर शराब की लत में प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 में वर्णित पैतृक कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने व विक्रय करने की धमकी दी। उक्त के बाद लगातार रूप से प्रार्थीगण को पैतृक कृषि भूमि के विक्रय करने व कब्जे से बेदखल करवाने की धमकी दी जाती आ रही है। एवं अप्रार्थी संख्या 1 उक्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने व विक्रय करने पर उतारू होने के कारण वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। श्रीमान से प्रार्थी की प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि ग्राम मदनगंज पटवार हल्का मदनगंज के खसरा संख्या 52 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा व खसरा संख्या 83 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा में 1/4 हिस्से की भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 किसी व्यक्ति को रहन, बैचान, एवं खुर्द बुर्द नहीं करे तथा किसी भी तरह का कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीगण के द्वारा उक्त कृषि भूमि के उपयोग उपभोग करने में किसी तरह की कोई बाधा कारित करवाने बाबत किसी भी तरह का कोई दस्तावेज किसी भी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित नहीं करे। न ही प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि के

उपखण्ड अधिकारी,
किशनगढ़

उपयोग उपभोग से वंचित करे, न बेदखल करे, न करवाये। अप्रार्थी संख्या 2 को पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा किसी तरह का कोई दस्तावेज उक्त कृषि भूमि के संबंध में पेश किये जाने पर उसका पंजीयन नहीं करे। तथा अप्रार्थी संख्या 3 को पाबन्द किया जावे कि राजस्व रिकोर्ड में किसी तरह का कोई परिवर्तन, परिवर्धन नहीं करे।

2. प्रार्थना पत्र को दिनांक 07.01.2011 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 24.01.2011 तक बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 06.07.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 के रजिस्टर्ड डाक के सम्मन तामिली होकर प्राप्त हुये किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 16.04.2025 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि ग्राम मदनगंज पटवार हल्का मदनगंज के खसरा संख्या 52 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा व खसरा संख्या 83 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा में 1/4 हिस्से की भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 किसी व्यक्ति को रहन, बैचान, एवं खुर्द बुर्द नहीं करे तथा किसी भी तरह का कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीगण के द्वारा उक्त कृषि भूमि के उपयोग उपभोग करने में किसी तरह की कोई बाधा कारित करवाने बाबत किसी भी तरह का कोई दस्तावेज किसी भी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित नहीं करे। न ही प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित करे, न बेदखल करे, न करवाये। अप्रार्थी संख्या 2 को पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा किसी तरह का कोई दस्तावेज उक्त कृषि भूमि के संबंध में पेश किये जाने पर उसका पंजीयन नहीं करे। तथा अप्रार्थी संख्या 3 को पाबन्द किया जावे कि राजस्व रिकोर्ड में किसी तरह का कोई परिवर्तन, परिवर्धन नहीं करे।

3. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वादअधीन भूमि में प्रार्थीगण वर्तमान में खातेदार नहीं है जिसके कारण उन्हे अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. में समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि न्यायिक सिद्वान्तों के अनुसरण में सभी सहखातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। वर्तमान खातेदारों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायौचित नहीं है। प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणिय क्षति को सिद्व करने में असफल रहें है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़